न्यायालय उपखंड अधिकारी ~~एवं सहायक कलक्टर~~ 260/17
करेडा (भीलवाड़ा)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज [illegible] बनाम [illegible]	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
14/5/18	पत्रावली आज दिनांक 14.5.18 स्थगन पाश्चात् पर राजस्व लोक अदालत शिविर में पेश हुई। लोक अदालत की भावना से प्रकरण मेरिट के आधार पर निर्णित किए जाने के उद्देश्य से मैंने पत्रावली पर उपलब्ध वाद पत्र एवं जवाबदावा तथा अन्य राजस्व अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कीडिमाल तह. करेडा स्थित आराजी सं. 2562 लगायत 2586 कुल किता 25 रकबा 21.00 बीघा भूमि स्थित होकर इसमें वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 की माता मांगी देवी 1/3 अर्थात 7.00 बीघा भूमि का स्वामित्व था एवं तदनुसार अन्य सहखातेदारों के साथ राजस्व अभिलेखों में दर्ज रिकार्ड था। माता मांगी देवी का निधन दिनांक 5.5.2000 को होने के उपरान्त हलका पटवारी द्वारा विरासत का नामान्तरकरण उसके वारिसान संतानों के पक्ष में खोला गया एवं हलका गिरदावर द्वारा भी इसे अपनी जाँच में सही पाया गया परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण संख्या 738 दिनांक 06.12.2002 को पारित करते समय अन्य व्यक्ति प्रतिवादी संख्या 04 दीपा पिता किशनाभील नि. कीडिमाल को मांगी देवी का गोद पुत्र बताते हुए	

उपखंड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर करेडा

प्रकरण 26017 रा० वा०

तारीख जो जारी हुए	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नामान्तकरण संख्या 738 दीपा के पक्ष में निर्णित कर वादग्रस्त 07 बीघा भूमि का हकदार घोषित कर दिया गया। उक्त अवैध घोषणा के विरुद्ध वादीगण द्वारा वाद प्रज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ है। मैंने विवेचित नामान्तकरण संख्या 738 निर्णित दिनांक 06.12.2002 का सावधानी पूर्वक अवलोकन किया। विवादित नामान्तकरण विरासत के आधार पर खोला गया है। जबकि इसका निर्णय का आधार भी विरासत बताई गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत द्वारा भी दीपा को विरासत के आधार पर वादग्रस्त भूमि का मालिक घोषित किया है। जो वैधानिक दृष्टि से पूर्णतया गलत है। वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 स्व० खेमा भील की पत्नी मांगी देवी के प्रथम श्रेणी के वारिसान की तारीफ में आते है। पंचायत ने अपना निर्णय गोदनामे के आधार पर नहीं सुनाया इसके विपरीत निर्णय विरासत के आधार पर पारित किया है जबकि दीपा पिता किसना भील स्व० खेमा एवं मांगी देवी की जाईन्दा संतान नहीं होने से उसका विधिक उत्तराधिकारी नहीं है। तथा मांगी देवी की विरासत उसकी पुत्रियों एवं पुत्र में ही निहित होगी। अतः ग्राम पंचायत द्वारा विरासत के आधार पर पारित नामान्तकरण संख्या 738 निर्णित दिनांक 06.12.2002	अधिकारी पर्वेन सहायक कलस्टर करेड़ा

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखंड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा (भीलवाड़ा)

प्रकरण सं. [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	[illegible] बनाम [illegible]
	पूर्णतया अवैधानिक तथ्यों के आधार पर पारित किए जाने से किसी भी स्थिति में स्वीकार योग्य नहीं है। प्रतिवादी संख्या 2 संख्या प्रतिद्वन्दी एवं प्रतिवादी संख्या 04 द्वारा न्यायालय में दिनांक 15.12.16 को जो जवाबदावा पेश किया गया है उसके जवाबदावे में स्पष्ट अंकित किया गया है कि मोगी की मृत्यु के उपरान्त वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 738 जो प्रतिवादी संख्या 04 के पक्ष में पारित हुआ को सही बताया गया है जबकि नामान्तरकरण संख्या 738 में ग्राम पंचायत द्वारा वसीयत नहीं बताई जाकर गोदनामा होना अंकित किया है। इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 04 न्यायालय के समक्ष Clean-Hand से प्रस्तुत नहीं हुआ है एवं तथ्यों को छुपाया जाकर कथित रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 20.03.2002 जो वसीयत है अथवा गोदनामा जवाबदावे में कहीं पेश नहीं किया जाकर तथ्यों को छुपाया गया है। स्व० मोगी देवी के जाईन्दा 3 पुत्र एवं 2 पुत्रियां होते हुए क्यों कर वसीयत अथवा कथित गोदनामा दिनांक 20.03.2002 को रजिस्टर्ड कराया गया। चाहे उक्त रजिस्टर्ड हो तो भी मोगी देवी भील की विरासत उसके तीनों पुत्रों एवं दोनों पुत्रियों में ही वैधानिक रूप से विभक्त होगी।
	अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर ग्राम पंचायत [illegible] द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 738 दिनांक 06.12.02

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखंड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा (भीलवाड़ा)

प्रकरण सं0 280/17

तारीख क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	को निरस्त किया जाकर दोनों प्रतिवादियों के निरस्तीकरण का अमल लगाये जाने के आदेश प्रदान किए जाने के साथ-साथ दिनांक 20.03.2002 से पूर्व की स्थिति बहाल करते हुए वादीगण संख्या 01 एवं 02 को साथ-2 प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 को समानुपात में वादग्रस्त कुल 21 बीघा 8 बि. से मांगीदेवी का 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किए जाते हैं। एवं प्रतिवादी संख्या 04 का नाम राजस्व अभिलेखों से विलोपित किए जाने की आज्ञा प्रदान की जाती है। दिनांक 20.03.2002 के पश्चात यदि कोई प्रतिकूल प्रविष्टी हुई हो तो इसकी पालना में बाधक नहीं समझी जावे। पालनार्थ तहसीलदार करेड़ा को लिखा जावे। तदनुसार डिक्री जारी की जावे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसलशुदा हो। निर्णय आज खुले इजलास में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा	

Scanned by CamScanner

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर .... करेड़ा

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- रजनी माधीवाल RAS

खेमराज उर्फ खेमा पिता खेताराम जाति ..... वगै. बनाम मुरारी पिता खेताराम वगै.

दावा बाबत ..... वाद बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा।

मुकदमा नम्बर :- 260/17 रा० वाद

निर्णय दिनांक :- 14/05/2018

वादी की ओर से .... की व प्रतिवादी की ओर से ....

की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 14/5/18 को रजनी माधीवाल (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी ..... करेड़ा ..... के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत की मीमाल द्वारा पारित नामा० सं० 73 निर्णय दिनांक 06/04/2002 को निरस्त किया जाकर दोनों प्रतिमों में निरस्तीकरण का दाखिल अमल मय ग्राम पोर्टल करने के आदेश प्रदान किये जाने के साथ-साथ दिनांक 20/03/2002 से पूर्व की स्थिति बहाल करते हुए वादीगण सं० 01 एवं 2 के साथ-साथ प्रतिवादी सं० 01 लगायत 03

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 14/5/18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(X) शेष विवरण पुस्तपृष्ठ अंकित है।

उपखण्ड अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी लोक
सहायक उपखण्ड अधिकारी करेड़ा
पदेन सहायक कलक्टर ..... करेड़ा

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के निर्वाह व्यय	
5. सक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

Scanned by CamScanner

अनवान

(1) रैनमरा जे उर्फ रवेमा पिता रवेता भीम नि० बाडिया (सुराज) पंचायत चेनपुरा तहसील

(2) मादूलाल पुत्र रवेता भील उम्र वयस्क नि० भील (सुराज) पंचायत चेनपुरा त० आसीन्द।

——— वादी

बनाम

(1) पसारी पिता रवेता भील उम्र वयस्क नि० भील बाडिया (सुराज) पंचायत चेनपुरा त० आसीन्द

बापू भील नि० मीठीमाल त० कोटड़ी

(2) -साडु D/o रवेता भील नि० भीलों का बाडिया (सुराज) चेनपुरा त० आसीन्द पत्नि बापू भील नि० धा.

(3) -खेटू कंकू पुत्री रवेता भील नि० भीलों का बाडिया (सु.) पंचायत चेनपुरा त० आसीन्द पत्नी ... भील शिवपुरा त० कोटड़ी

(4) -टीया पिता रिश्तना भील नि० मीठीमाल त० कोटड़ी

(5) -राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कोटड़ी जिला भीलवाड़ा/

——— प्रतिवादीगण

——— × ——— × ———

डिक्री का शेष

को समानुपात में वादग्रस्त कुल 21 बीघा में से आंगोटेली का 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं एवं प्रतिवादी सं० 4 का नाम राजस्व अभिलेखों से विलोपित किए जाने की आज्ञा प्रदान की जाती है। दिनांक 20.03.2002 के पश्चात यदि कोई प्रतिकूल प्रविष्टी हो तो इसकी पालना में बाध्यक नहीं समझी जावे।

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर कोटड़ी

Scanned by CamScanner